न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलड़ा, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या – **59 / 2023**

उनवान

प्रेमदेवी पत्नी कन्हैयालाल गुर्जर निवासी नौगांवा तहसील शाहपुरा

– प्रार्थीया

बनाम

1– गिरीराज पुत्र रामनिवास महाजन निवासी ढीकोला तहसील शाहपुरा
2– लीला पत्नी भोजा जंगलिया निवासी नौगांवा तहसील शाहपुरा
3– उदा पुत्र सवाईराम माली निवासी नौगांवा तहसील शाहपुरा
4–5 जयराम, दिनेश पिता लक्ष्मण जंगलिया निवासी नौगांवा तहसील शाहपुरा
6– प्रेम पत्नी खाना जंगलिया निवासी नौगांवा तहसील शाहपुरा
7– दिनेश पुत्र जगदीश जंगलिया निवासी नौगांवा तहसील शाहपुरा
8– प्रेम पत्नी रामस्वरूप जंगलिया निवासी नौगांवा तहसील शाहपुरा
9– राधेश्याम पुत्र जगदीश जंगलिया नाबालिग सरपरस्त सोसर देवी निवासी नौगांवा तहसील शाहपुरा
10– रामस्वरूप पुत्र धन्ना जंगलिया निवासी नौगांवा तहसील शाहपुरा

–
विपक्षीगण

उपस्थिति :– **श्री अक्षयराज रेबारी**
अधिवक्ता प्रार्थीया

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

–:: निर्णय ::–

दिनांक– **12.06.2023**

प्रार्थीया की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है – **ग्राम नोगांवा पटवार हल्का ढीकोला** तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित **आराजी नम्बर 266 रकबा 0.37 है0, 27 / 777 रकबा 0.19 है0, 30 रकबा 0.08 है0, 307 रकबा 0.69 है0, 31 रकबा 0.27 है0, 32 / 776 रकबा 0.10 है0** कुल **किता 6** रकबा **1.70** हैक्टेयर की प्रार्थीया **सह खतेदार काश्तकार** है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थीया एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाई जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर **विपक्षीगण** को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में नियत पेशी दिनांक 18.05.2023 को राजस्व मंत्रालियक कर्मचारियों की सामूहिक हड़ताल होने से पत्रावली हड़ताल के पश्चात दिनांक 12.06.2023 को पेश हुई। प्रकरण के अवलोकन से विपक्षी सं0 05 का सम्मन अदम तामिल लौटा जिसके विरूद्ध अभिभाषक प्रार्थीया द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं चाहने से विपक्षी सं0 05 के विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की गयी। **विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 4, 6 लगायत 10** के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हो चुके है। किन्तु बावजूद सूचना के आज दिनांक तक उपस्थित नहीं हुए है न ही उनकी तरफ से आज दिनांक तक कोई प्लीडर उपस्थित हुआ है। अतः **विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 4, 6 लगायत 10** के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी तथा बहस अभिभाषक प्रार्थीया सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी **ग्राम नोगांवा पटवार हल्का ढीकोला संवत 2075 से 2078** तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् प्रार्थीया के **सह खातेदारी** में दर्ज होकर प्रार्थीया अपनी उक्त आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहती है। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र **आंशिक स्वीकार** किया जाकर मौजा **नोगांवा** में स्थित प्रार्थीया की उपरोक्त **सह खातेदारी** की आराजीयात् में से **आराजी नम्बर 27 / 777 रकबा 0.19 है0 किस्म गेमु रास्ता होने से उक्त आराजियात को छोड़कर शेष किता 5 रकबा 1.51 हैक्टेयर** की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु **कमिशन फीस 600 /–** रूपये कायम किये जाते है, जो प्रार्थीया से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **12.06.2023** को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज. सत्यमेव जयते

(पुनीत कुमार गेलड़ा)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :– तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा